

**न्यायालय:श्रीष कैलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर**  
**जिला-बालाघाट, (म.प्र.)**

आप.प्रक.कं.-203 / 2009

संस्थित दिनांक-21.04.2009

फाइलिंग क.234503000572009

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-रूपझर,  
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

**अभियोजन**

**// विरुद्ध //**

1-खुमेश पिता बेनीराम भोंडेकर, उम्र-30 वर्ष, जाति चमार,  
निवासी-ग्राम रट्टा पायली, थाना-किरनापुर, जिला-बालाघाट(म.प्र.)

2-विनोद भोंडेकर पिता चैनूलाल भोंडेकर, उम्र-35 वर्ष, जाति चमार,  
निवासी-ग्राम रट्टा पायली, थाना-किरनापुर, जिला-बालाघाट(म.प्र.)

3-दिलीप पिता फत्तूलाल छिपेश्वर, उम्र-35 वर्ष, जाति चमार,  
निवासी-ग्राम गडदा, थाना-हट्टा, जिला-बालाघाट(म.प्र.)

4-आसिक खान पिता मोहम्मद अलिम, उम्र-29 वर्ष, जाति मुसलमान,  
निवासी-ग्राम कटंगी, थाना किरनापुर, जिला बालाघाट

**आरोपीगण**

**// निर्णय //**

**(आज दिनांक-17/06/2016 को घोषित)**

1- आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379 के तहत आरोप है कि उन्होंने दिनांक-08.01.2008 को सुबह 2:00 बजे थाना रूपझर अंतर्गत ग्राम सर्रा के जंगल में तीन गाय, दो बैल तथा दो गोरे कुल 10 जानवर कीमती लगभग 35,000/-रुपये को उनके स्वामियों की सहमति के बिना बेईमानीपूर्वक आशय से चोरी कारित की।

2- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि पुलिस चौकी सोनेवानी में पदस्थ प्रधान आरक्षक रंगलाल मरकाम को फरियादी रतनलाल ने मौखिक रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक-08.01.2009 को सुबह 9 बजे उसने अपने मवेशी 10 नग सर्रा जंगल में चरने के लिए छोड़े थे, जो गुम हो गए। घटना की सूचना दिनांक-18.01.09 को पुलिस चौकी सोनेवानी में दी गई, जिसके पश्चात् गवाहों के कथन तथा जांच पर पाया गया कि आरोपी खुमेश, विनोद, दिलीप, आशिक ग्राम सर्रा के जंगल से 10 नग मवेशी चोरी कर ले जाते देखे गए। उपरोक्त आधार पर पुलिस चौकी सोनेवानी में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-08/09, धारा-379, 34 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस द्वारा अनुसंधान के दौरान उक्त घटना स्थल का मौकानक्शा तैयार कर,

फरियादी एवं साक्षियों के द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध संदेह जाहिर किये जाने पर आरोपीगण को तलब कर पूछताछ कर उनके मेमोरेण्डम के आधार पर आरोपीगण से चोरी गए मवेशी 10 नग को बेचे जाने से नगद रकम जप्त की गई, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये तथा आरोपीगण को विधिवत् गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3- आरोपीगण को भा.द.वि. की धारा-379 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर आरोपीगण ने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपीगण का अभियुक्त परीक्षण धारा 313 द.प्र.सं. के तहत किए जाने पर उन्होंने अपने कथन में स्वयं को निर्दोष व झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया है तथा बचाव में कोई साक्ष्य पेश नहीं की है।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु यह है कि :-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक-08.01.2008 को सुबह 2:00 बजे थाना रुपझर अंतर्गत ग्राम सर्रा के जंगल में तीन गाय, दो बैल तथा दो गोरे कुल 10 जानवर कीमती लगभग 35,000/-रुपये को उनके स्वामियों की सहमति के बिना बेईमानीपूर्वक आशय से चोरी की ?

#### विचारणीय बिन्दु का निष्कर्ष:-

5- फरियादी रतनलाल (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना वर्ष 2009 फरवरी माह सुबह 9:00 बजे की है। वह सोनेवानी बाजार गया था। उसके मवेशी पानी पीने के लिए नाले की तरफ गए थे, तभी आरोपीगण उसके मवेशियों को हांक कर ले गए थे। उसने अपने मवेशियों को अगले दिन ढूंढने का प्रयास किया। जब उसे जानवर नहीं मिले तब गांव के ही व्यक्ति धनसिंह, समलसिंह इत्यादि ने उसे बताया कि आरोपीगण उसके जानवर चोरी कर ले गए। इसके बाद उसने सोनेवानी चौकी जाकर रिपोर्ट लेख कराई। पुलिस ने उससे पूछताछ की थी और उसके बताए अनुसार घटनास्थल का मौकानक्शा बनाया था।

6- आरोपी आशिक ने मेमोरेण्डम कथन उसके समक्ष लेख कराया था कि उसने जानवरों को बेचा है तथा उससे प्राप्त रूपयों को घर की आलमारी में रखा है। मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-2 के अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी खुमेश ने मेमोरेण्डम कथन लेख कराया था कि उसने मवेशियों को बेचकर पैसे पेट्टी में रखा है। उपरोक्त मेमोरेण्डम प्रदर्श पी-3 के अ से अ भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। आरोपी विनोद ने भी मवेशी बेचकर पैसे घर में रखने का मेमोरेण्डम पुलिस को उसके समक्ष लेख कराया था, जो प्रदर्श पी-4 है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके समक्ष जप्ती की कार्यवाही की थी। आरोपी आशिक के घर से चार हजार रुपये की जप्ती कर

जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-6 तैयार किया था, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने आरोपी विनोद, खुमेश के घर से 4200/-रुपये जप्त किये थे। जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-7 एवं प्रदर्श पी-8 के अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। इसके पश्चात् पुलिस ने आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-9, 10, 11 बनाया था, जिस पर उसने हस्ताक्षर किये थे।

7- प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि घटना फरवरी माह की है, जनवरी माह की नहीं है। उल्लेखनीय है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-18 में घटना की दिनांक-08.01.2009 होना लेख है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि सारे जानवर उसके नहीं थे। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि रिपोर्ट लिखवाने के बाद वह पुलिसवालों के साथ आरोपीगण के पास गया था, परंतु आरोपीगण के पास जानवर नहीं थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया है कि मेमोरेण्डम तथा जप्ती की कार्यवाही थाने पर बैठकर की गई थी। साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने स्वयं आरोपीगण को मवेशियों को चोरी कर ले जाते हुए नहीं देखा।

8- सुकलाल (अ.सा.2) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना उसके बयान देने के साल भर पूर्व की है। वह बाजार करने सोनेवानी गया था, तब आरोपीगण ने 10 नग मवेशियों की चोरी की थी। उसके जानवर नहीं मिले, इसलिए उसने अपने मवेशी ढूंढे, बाद में उसे गांव के टिकरू और मायती ने बताया था कि आरोपीगण उसके जानवरों को ले गए हैं। साक्षी ने कहा है कि उसे बांस काटने वालों ने बताया था कि मवेशी जंगल में बंधे हुए हैं, परंतु जब उसने जाकर ढूंढा तो मवेशी उसे जंगल में नहीं मिले। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने स्वयं आरोपीगण को मवेशियों को चोरी कर ले जाते हुए नहीं देखा। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि जब मवेशी जंगल में चरने गए थे, तो उन्हें चराने के लिए कोई साथ नहीं गया था। साक्षी ने स्वीकार किया है कि चोरी गए मवेशी किसी को भी आज तक नहीं मिले हैं।

9- स्वरूपसिंह उर्फ माईकल (अ.सा.3) ने कहा है कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना उसके बयान देने के एक वर्ष पूर्व की है। वह बांस काटने के लिए कोठी पार गया था और जब राशन लेने आ रहा था तो उसने देखा कि ग्राम गुरेंदा में ईट भट्टा के पास 10 जानवर बंधे हुए थे। आरोपीगण वहीं पर थे और उसने आरोपीगण से पूछा कि क्या वे जानवर खरीदकर लाए हैं, तो आरोपी खुमेश ने उससे कहा कि क्या जानवर खरीदेगा। ग्राम सर्रा में मवेशियों के मालिक ने उससे पूछा तो उसने बताया कि उनके जानवर ईट भट्टे के पास बंधे हुए थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि आरोपी खुमेश जानवरों की खरीदी बिक्री का कार्य करता है। यह भी स्वीकार किया है कि आरोपी खुमेश जानवर खरीदकर ला रहा था। बचाव पक्ष के इस सुझाव से साक्षी ने इंकार किया

कि वह ईट भट्टे के पास बंधे जानवरों को पहचान नहीं पाया था कि वे किसके जानवर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि जानवर के पास खुमेश था और बाकी लोग वहां से भाग गए थे।

10— समलसिंह (अ.सा.5) ने कहा है कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना उसके बयान देने के 2 वर्ष पूर्व शाम 4 बजे की है। आरोपीगण ने जंगल में 10 मवेशी बांध रखे थे, मवेशी सर्रा ग्राम के थे, जिन्हें आरोपीगण पकड़ कर ले गए थे। वह बड़ोंदा चावल खरीदने गया था, तब उसने मवेशी देखकर पहचान लिया कि मवेशी उसके गांव के हैं, इसलिए उसने मवेशियों के मालिक को जाकर बताया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि जंगल में जानवर बंधे हुए थे, परंतु उसने आरोपीगण को जानवरों को बांधते हुए नहीं देखा। साक्षी ने कहा है कि पांच बछड़े, दो बैल तथा तीन गाय उसने देखे थे। बचाव पक्ष के इस सुझाव को साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने आरोपीगण को घटना के पूर्व नहीं देखा। साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया है उसने जानवर देखकर, जानवरों को नहीं पहचाना था।

11— घुड़नलाल अहिरवार (अ.सा.6) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-19.01.2009 को पुलिस चौकी सोनेवानी में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को अपराध क्रमांक-8/09, अंतर्गत धारा-379, 34 भा.द.वि. की विवेचना के दौरान फरियादी तथा साक्षीगण के कथन उनके बताए अनुसार लेख किये थे। दिनांक-02.02.2009 को आरोपी दिलीप द्वारा साक्षी रामभरोसे एवं रामकिशोर के समक्ष प्रदर्श पी-12 का मेमोरेण्डम उसके बताए अनुसार लेख किये थे, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। ग्राम गडता में साक्षियों के समक्ष आरोपी दिलीप के घर से जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-13 अनुसार नगद राशि जप्त की थी, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक-19.01.2009 को आरोपी खुमेश के मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-3 अनुसार लेख किये थे तथा आरोपी द्वारा छपरी से निकालकर पेश किये जाने पर जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-8 के अनुसार राशि जप्त की थी।

12— इसी दिनांक को आरोपी विनोद के मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-4 तथा आरोपी के बताए अनुसार उसके घर के अंदर फोटो के पीछे से निकालकर जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-7 अनुसार राशि जप्त की थी, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसी दिनांक को आरोपी आशिक खान के मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-2 लिया था और उसके द्वारा पेश किये जाने पर जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-6 अनुसार रुमाल में रखे नोट जप्त किये थे तथा आरोपी अशिक खान, खुमेश, विनोद को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-9, 10, 11 बनाया था। दिनांक-02.02.2009 को आरोपी दिलीप को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-14 बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।



13— प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि प्रकरण की कायमी उसके द्वारा नहीं की गई है। साक्षी ने स्वीकार किया कि जिस समय गवाहों के कथन लेख किये गए, उस समय आरोपीगण की जानकारी नहीं थी। बचाव पक्ष के इस सुझाव से साक्षी ने इंकार किया है कि उसने प्रकरण की समस्त कार्यवाही एक ही दिन में कर ली थी।

14— रामभरोसे (अ.सा.4) ने अपने न्यायालयीन कथन में कहा है कि वह आरोपी दिलीप को नहीं जानता। दिलीप नाम के आदमी ने उसके समक्ष कोई मेमो कथन नहीं दिये थे और उसके समक्ष कोई जप्त एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही नहीं हुई थी। साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी दिलीप ने उसके समक्ष मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-12 लेख कराया था। साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया है कि उसके सामने जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-13 तथा गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-14 की कार्यवाही हुई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उपरोक्त दस्तावेजों पर उसने हस्ताक्षर पुलिसवालों के कहने पर पुलिस चौकी में किये थे।

15— दशरू (अ.सा.7) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कथन किये हैं कि वह आरोपीगण को जानता है। आरोपीगण उनके गांव में जानवर खरीदने के लिए आए थे, किन्तु बिना जानवर खरीदे चले गए थे। उन्हें गांव के धनसिंह, सम्मल, भगतू जो बांस काटने जंगल गए थे, उन्होंने बताया कि आरोपीगण ने उनके जानवर जो जंगल में चर रहे थे, हांककर ले गए हैं। उसके ससुर द्वारा रिपोर्ट की गई थी। बाद में उसे पता चला कि आरोपीगण ने जानवरों को बेच दिया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि आरोपीगण उसके गांव आए थे या नहीं, यह वह नहीं बता सकता। साक्षी ने स्वीकार किया है कि जानवर चराने जंगल में कोई नहीं गया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि आरोपीगण द्वारा मवेशियों को ले जाते हुए उसने देखा और न ही आरोपीगण के पास जानवर मिले थे।

16— राधेश्याम (अ.सा.8) ने अपने न्यायालयीन कथन में कहा है कि वह आरोपीगण को जानता है। उसने इस आशय का प्रमाणपत्र गांव का सरपंच होने के कारण दिया था कि आरोपी हमीद की किराना दुकान एवं ट्रेक्टर का धंधा था। आरोपी मवेशी का व्यवसाय नहीं करता था। इस बाबत प्रदर्श पी-15 एवं 16, 17 का पंचनामा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किये थे। उल्लेखनीय है कि हमीद नामक व्यक्ति प्रकरण में आरोपी नहीं है।

17— मानिक पटले (अ.सा.9) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि वह दिनांक-19.01.2009 को थाना रूपझर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसने आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक-8/09, धारा-379, 34 भा.द.वि. का प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी-18 के आधार पर असल नंबरी प्रदर्श पी-19 में दर्ज की थी, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि घटना घटित होने के 15 दिन बाद में प्रकरण दर्ज किया जाकर कार्यवाही की गई।

18- अशोक मड़ावी (अ.सा.10) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह दिनांक-12.01.2009 को चौकी सोनेवानी में प्रधान आरक्षक के पद पर था। उक्त दिनांक को रतनलाल तेकाम, श्यामलाल, दशरू, सुखराम बैगा ने चौकी आकर मौखिक रिपोर्ट लेख कराया था कि दिनांक-08.01.2009 को उन्होंने अपने जानवर जंगल में चरने के लिए छोड़ दिए थे, जो वापस नहीं आए। उसने उक्त सूचना रोजनामचा क्रमांक-256, दिनांक-12.01.2009 में लेख की, जिसकी कार्बन प्रति प्रदर्श पी-20 है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि जानवर गुम हो जाने के 8-9 दिन बाद फरियादीगण ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

19- रंगलाल मरकाम (अ.सा.11) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-18.01.2009 को चौकी सोनेवानी में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उसके द्वारा रोजनामचा सान्हा क्रमांक-256, दिनांक-12.01.2009 गुम मवेशी क्रमांक-1/09 की जांच पर से आरोपी खुमेश, विनोद, दिलीप, आशिक खान के विरुद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक-18, जिसका अपराध क्रमांक-0/09, धारा-379/34 भा.द.वि. के तहत लेख किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने दिनांक-17.01.2009 को घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-1 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि जब जानवर चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, तब किसी व्यक्ति के नाम का उल्लेख नहीं किया गया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि मौकानक्शा प्रार्थी के घर का बनाया गया है। यहां यह स्पष्ट करना उचित होगा कि मौकानक्शा जिस स्थान की घटना होती है, वहां का बनाया जाता है। प्रकरण के अनुसार जानवर चोरी हुए थे, तब प्रार्थी के घर का मौकानक्शा बनाया जाना उचित नहीं माना जा सकता।

20- रामकिशोर गौतम (अ.सा.12) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कथन किये हैं कि वह किसी भी आरोपीगण को नहीं जानता। आरोपी दिलीप ने उसके सामने पुलिस को कोई कथन नहीं दिया था। प्रदर्श पी-12 के सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके सामने पुलिस ने आरोपी दिलीप से कोई जप्ती नहीं की थी। जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-13 के सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी दिलीप को गिरफ्तार किये जाने के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की थी। गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-14 के सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने अपने समक्ष मेमोरेण्डम प्रदर्श पी-12 तथा गिरफ्तारी की कार्यवाही प्रदर्श पी-14 होने से इंकार किया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने उपरोक्त दस्तावेजों पर पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर किये थे।

21- प्रकरण में आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-379 के अंतर्गत अपराध किये जाने का अभियोग है। चोरी की घटना के लिए आरोपी के पास से

चोरी का सामान जप्त किया जाना आवश्यक है। यदि चोरी का सामान जप्त नहीं किया जाता, तो उस सामान का विक्रय अथवा खुरदबुर्द करने के संबंध में पूर्ण विवेचना किया जाना एवं इसे न्यायालय में प्रामाणित किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में चोरी गए मवेशी आरोपीगण के पास से जप्त नहीं किये गए। अभियोजन कहानी के अनुसार आरोपीगण द्वारा मेमोरेण्डम कथन लेख कराया गया था, जिसके आधार पर आरोपीगण द्वारा मवेशी बेचकर पैसा अपने पास रखा होना स्वीकार किया गया था। मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-12 के विषय में स्वतंत्र साक्षीगण रामभरोसे (अ.सा.4), रामकिशोर (अ.सा.12) ने मेमोरेण्डम की कार्यवाही अपने समक्ष होने से इंकार किया है। उपरोक्त साक्षियों ने आरोपी दिलीप के संबंध में की गई जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही से इंकार किया है। इस प्रकार आरोपी दिलीप के संबंध में मेमोरेण्डम की कार्यवाही किसी भी स्वतंत्र साक्षी द्वारा प्रमाणित नहीं की गई है। विवेचक घुड़नलाल अ.सा.6 ने मेमोरेण्डम की कार्यवाही प्रदर्श पी-12 आरोपी खुमेश के संबंध में मेमोरेण्डम की कार्यवाही प्रदर्श पी-3, आरोपी विनोद के संबंध में मेमोरेण्डम की कार्यवाही प्रदर्श पी-4 तथा आरोपी आशिक के संबंध में मेमोरेण्डम की कार्यवाही प्रदर्श पी-2 किये जाने का कथन किया है। उपरोक्त मेमोरेण्डम की कार्यवाही को किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने प्रमाणित नहीं किया है।

22— प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि रतनलाल (अ.सा.1) जो प्रकरण में प्राथी भी है, ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि उसके मवेशियों को जंगल में चराने के लिए कोई व्यक्ति लेकर नहीं गया था। यह बात साक्षी सुकलाल (अ.सा.2), दशरू (अ.सा.7) ने भी अपने न्यायालयीन परीक्षण में कही है। संपत्ति चोरी किये जाने के लिए एक आवश्यक तत्व यह भी है कि चोरी गई संपत्ति को उसके आधिपत्यधारी की सहमति के बिना बेईमानीपूर्वक हटाया जावे। प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य से यह सिद्ध हो रहा है कि जानवर जंगल चरने गए थे और वस्तुतः जंगल से ही चोरी हो गए थे। आरोपीगण द्वारा चोरी की गई थी अथवा आरोपीगण मवेशियों को ले गए थे, यह बात किसी भी अभियोजन साक्षी ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में नहीं कही है। इसके अतिरिक्त साक्ष्य में यह बात भी प्रकट हुई है कि जानवर जंगल में बंधे हुए थे और सूचना प्राप्त होने पर जब फरियादी पक्ष पुलिस के साथ जंगल में गए तो उन्हें वहां जानवर प्राप्त नहीं हुए। इस प्रकार आरोपीगण के आधिपत्य से चोरी गए जानवर प्राप्त नहीं हुए और न ही जानवर बेचकर जो पैसे प्राप्त हुए थे, उनके संबंध में बनाया गया मेमोरेण्डम की कार्यवाही किसी स्वतंत्र साक्षी से प्रमाणित नहीं हुई है। उपरोक्त स्थिति में आरोपीगण द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-379 का अपराध किये जाने के तथ्य सन्देह से परे प्रमाणित नहीं पाये जाते। फलस्वरूप आरोपीगण को उपरोक्त धारा में सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

23— प्रकरण में आरोपीगण की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा-437(क) के पालन में आज दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेंगे।

24- प्रकरण में आरोपी खुमेश, विनोद व आशिक दिनांक-20.01.2009 से दिनांक-23.01.2009 तक तथा आरोपी दिलीप दिनांक-03.02.2009 से दिनांक-06.02.2009 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रहें हैं। उक्त के संबंध में धारा-428 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पृथक से प्रमाणपत्र संलग्न किया जाये।

25- प्रकरण में अभियुक्त परीक्षण में आरोपीगण ने जप्तशुदा राशि उनके पास से जप्त होने से इंकार किया है। अतः अपील अवधि पश्चात् यह राशि शासन के पक्ष में राजसात की जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही / -

(श्रीष कैलाश शुक्ल)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,

जिला-बालाघाट

बैहर,

दिनांक-17.06.2016

सामान्य जानकारी हेतु प्र  
(शासकीय / विधिक उपयोग)